


**कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण सीधी –
सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 की धारा 4(1)बी
अध्याय–एक**

जिला शहरी विकास अभिकरण(डूडा) का गठन केन्द्र शासन के निर्देश पर एक समिति के रूप में म0प्र0 शासन के द्वारा किया गया, संस्था पंजीयक फर्म एण्ड सोसाइटीस ऐक्ट के अन्तर्गत दि0 27.4.92 को पंजीकृत की गयी है। जिसका मुख्य कार्य नगरीय क्षेत्रों में निर्धनता का उन्मूलन करना है :-



जिला शहरी विकास अभिकरण के प्रत्येक बिभाग के कार्य एवं कर्त्तब्य

अ0क0	बिभाग	कार्य
1	2	3
1	सामान्य प्रशासन विभाग	<p>अभिकरण के सामान्य प्रशासन की सुचारु ब्यबस्था एवं संचालन तथा लेखाओ के संधारण का यह बिभाग उत्तरदायी है। इसके प्रमुख कार्य एवं कर्त्तब्य निम्न है:-</p> <p>प्रशासन-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय की समुचित ब्यबस्था 2. अधिकारियो / कर्मचारियो की उपस्थिति, अबकास , कार्य-बिभाजन 3. कार्यालयीन पत्र ब्यबहार का संधारण,नियंत्रण एवं पर्यबेक्षण 4. रिकार्ड पत्रो का आबक जाबक, पंजीकरण व निरस्ती-करण 5. बरिष्ठ अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिबेदनो का पालन प्रतिबेदन
2	लेखा-	<ol style="list-style-type: none"> 1. संचालनालय से प्राप्त राशि को संक्षम स्वीकृति अथवा आदेशानुसार नगरीय निकायो को राशि पुर्नबटित करना एवं अन्य भुंगतान करना 2. अभिकरण के अधि0 / कर्म0 के सेवा अभिलेखो का संधारण करना 3. लेखाओ का आडिट एवं आडिट प्रतिबेदनो का निराकरण

अध्याय – दो

अभिकरण के बिभागीय अधिकारियो व कर्मचारियो के कार्य व शक्तिया

प्रपत्र- ग

क्र०	नाम पदाधिकारी	कर्त्तव्य	शक्तियां
1	श्री एस०एन० शर्मा , कलेक्टर/अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण सीधी	1-अभिकरण के द्वारा संचालित योजनाओ का पर्यवेक्षण 2-नगरीय निकायो के कलेक्टो- रेट से संबंधित समस्त कार्य 3-म०प्र० सिबिल सेवा (बर्गी० नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशास- नात्मक कार्यबाही	1- अभिकरण के समस्त कार्यपालिक व बिल्लीय प्रशासन पर नियंत्रण 2- अभिकरण के अधि० के अबकास बेतन, सामान्य भ० नि० अग्रिम,अन्य भत्ते स्वीकृत करना
2	श्री आनन्द बहादुर सिंह परियोजना अधिकारी	1- संचालित योजनाओ का क्रियान्वयन करना 2-कलेक्टोरेट से संबंधित कार्य 3-संस्था के अधि०/कर्म० के बेतन/भत्ते के सम्पूर्ण भुगतान का अधिकार 4-अन्य पर रू० 50,000/- तक की बिल्लीय एवं प्रशा०स्वीकृति प्रदान करना 5-कर्म० के अबकास स्वीकृत करना	1-अभिकरण के समस्त कार्यपालिक व संक्षम स्वीकृति उपरान्त बिल्लीय प्रशासन पर कार्यबाही व नियंत्रण करना 2- अभिकरण की ओर से पत्राचार करना

ख- अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी

विभाग	पदाधिकारी का नाम	पद	कर्त्तव्य	शक्तियां यदि कोई प्रदाय की गयी हो
1	2	3	4	5
सा०प्र०/ लेखा	श्री लल्ला राम तिवारी	कार्या० सहा० बर्ग-2	लिपिकीय कार्य	---
	श्री श्यामलाल जाय०	चालक	जिप्सी चालक	---
	श्री धर्मराज सिंह	चौकीदार/सह०	कार्यालय में भृत्य का कार्य	---

अध्याय-तीन

विनिश्चय/निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रकृया और निगरानी/ पर्यवेक्षण तथा जबाबदेही के माध्यम /सारणी

- 1- अध्यक्ष:-
प्रेषककर्ता- परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण सीधी अपील/
पुनरीक्षण- शासन
- 2- परियोजना अधिकारी
प्रेषककर्ता- सहायक परियोजना अधिकारी
निर्णयकर्ता- परियोजना अधिकारी
अपील/पुनरीक्षण- कलेक्टर/अध्यक्ष जिला शहरी विकास अभिकरण सीधी

बिभाग	प्रकरण प्रारम्भकर्ता अधिकारी	डिलीग कर्मचारी	अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होता है	निर्णयकर्ता अधिकारी	निगरानी /पर्यवेक्षण अधिकारी	प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी
1	2	3	4	5	6	7
सामान्य प्रशासक / लेखा	शाखा लिपिक	-	परियोजना अधिकारी	कलेक्टर / अध्यक्ष	आयुक्त नगर प्रशासक एवं विकास	महानगर शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

अध्याय –चार

अभिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा निर्धारित मापदण्ड/प्रतिमान

क— अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये निम्न मानदण्ड एवं समय—सीमा निर्धारित की गयी –

सीटिजन चार्टर

क्र	कार्यक्रम का नाम	निर्धारित समय सीमा	रिमाक
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंक को अनुदान राशि का भुगतान	राशि उपलब्ध रहने पर बैंको से मांग पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर	---

ख—कार्यालयीन कार्यों का वर्ष के निर्धारण/लक्ष्य

1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम	—	बित्त वर्ष में शत प्रतिशत
---	------------------------------------	---	---------------------------

अध्याय—पांच

जिला शहरी विकास अभिकरण के कृत्यों का निर्बहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण या अधीन या उसके कर्मचारियों/नियोजियों के द्वारा उपयोग किये गये नियमों, बिनियमों, अनुदेशों, मैनुअल्स, अभिलेख –

अधिनियम

1. म0प्र0 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956
2. म0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1961
3. अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम
4. म0प्र0 मूलभूत नियम
5. म0प्र0 सिबिल सेवा पेसंन नियम 1971
6. म0प्र0 सिबिल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)नियम 1966
7. म0प्र0 सामान्य भविष्य निधि नियम 1955
8. म0प्र0 सिबिल सेवा आचरण नियम 1966
9. कार्यालय के गठन एवं क्रियान्वयन संबंधी उपबिधि
10. परिपत्र—

1—म0प्र0 सामान्य पुस्तक परिपत्र

2—नगरीय प्रशासन एवं विकास बिभाग एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश जैसे –

क—स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिशा निर्देश –2009

ख—स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना निर्देशिका –2000

एवं समय समय पर जारी अन्य निर्देश

अध्याय—छः

लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

क्र०	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का स्वरूप	समाहित जानकारी	दस्तावेज की समय—सीमा
1	2	3	4	5
1	स्टांक तथा भण्डार पंजी	पंजी	क्रय की गयी सामग्री का विवरण	—'—
2	भविष्य निधि अभिलेख (बैंक पास बुक)	—	कर्म० के भविष्य निधि की जानकारी	—'—
3	बेतन बिल	पंजी	कर्मचारियों के बेतन संबंधी जानकारी	32 वर्ष
4	कैशबुक	रजिस्टर	आय व्यय की जानकारी	25 वर्ष
5	अस्थाई अग्रिम/समायोजन पंजी	पंजी	अग्रिम/समायोजन की जानकारी	12 वर्ष
6	लेखा परीक्षा टिप्पणी	लेखा परीक्षा टीप	परीक्षण टीप व पत्र ब्यवहार	06 वर्ष
7	आबेदन पत्र/पत्राचार	नस्ती	संबंधित प्रकरण की जानकारी	नियमानुसार निर्धारित अवधि

अध्याय –सात

जिला शहरी विकास अभिकरण सीधी सें संबंधित नही है ।

अध्याय—आठ

जिला शहरी विकास अभिकरण सीधी सें संबंधित नही है ।

अध्याय—नौ

प्राधिकारी के अधिकारियो और कर्मचारियो नियोजितो की निर्देशिका

अ0क0	नाम पदाधिकारी कर्मचारी	पद	पता	फोन नं0
1	2	3	4	5
1	श्री एस0एन0 शर्मा (आई0ए0एस)	कलेक्टर/ अध्यक्ष	अध्यक्ष /कलेक्टर निवास ,कोतर कला सीधी (म0प्र0)	07822 – 252204(का.) 252203(नि.)
2	श्री आनन्द बहादुर सिंह	परि0 अधि0	कमर्जी रोड पुलिस लाइन सीधी	07822 250144(का.) 250605(नि0)
3	श्री लल्लाराम तिवारी	का.स0-2	अर्जुन नगर सीधी	—
4	श्री श्यामलाल जायसवाल	चालक	बिजयपुर जिला सीधी	—
5	श्री धर्मराज सिंह	चौकीदार	कोटहा सीधी	—

अध्याय –दस

प्राधिकारी के अधि०/कर्मचारियो को मासिक पारिश्रमिक:-

क०	नाम अधि०/कर्म०	पद	मासिक कुल उपलब्धि बेतन+ म० भत्ता	बिनियमो के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति			बेतनमान
				गृह भाडा	मेडिकल /अन्य भत्ता	योग 5+6+7	
1	2	3	5	6	7	8	4
1	श्री आनन्द बहादुर सिंह	परि०अधि०	28310-	208-	-	28518-	9300-34800
2	श्री लल्लाराम तिवारी	सहा-2	15579-	114-	-	15693-	5200-20200
3	श्री श्यामलाल जाय०	चालक	14283-	104-	30-	14417-	5200-20200
4	श्री धर्मराज सिंह	चौकीदार	11057-	84-	30-	11171-	4440-7440

अध्याय—ग्यारह

प्रत्येक एजेसी (बिभाग) के लिये आबंटित बजट(आय एव ब्यय पत्रक)

(क) आय—ब्यय
(रु० आकड़ें लाख में)

अ०क०	शीर्ष	उपशीर्ष	बर्ष 2008—09	प्रावधान आय / ब्यय (बास्तविक)	बास्तविक आय / ब्यय
1	2	3	4	5	6
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	2008—09	15.46	15.46
		शहरी स्वरोजगार प्रशि० कार्यक्रम	—”—	16.42	10.62
		अधोसंरचनात्मक सहायता	—”—	5.20	0.40
		शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	—’—	7.68	7.68
		महिला एवं बच्चो का विकास कार्यक्रम	—”—	5.05	5.00
		बचत एवं साख समिति	—”—	14.77	3.50
		सामुदायिक संगठक घटक	—”—	14.46	7.34
		सूचना शिक्षा सम्प्रेषण	—”—	2.13	2.13
		स्थानीय निकायो का सुदृढीकरण	—”—	3.93	1.08
		प्रशासकीय ब्यय	—”—	10.60	9.33
योग				95.70	62.54

आय-ब्यय
(रु० आकड़ें लाख में)

अ०क०	शीर्ष	उपशीर्ष	बर्ष 2009-10	प्रावधान आय / ब्यय (प्रस्ताबित)	बास्तबिक आय / ब्यय
1	2	3	4	5	6
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	2009-10	20.06	20.06
		शहरी स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम	---"---	33.90	18.37
		अधोसंरचनात्मक सहायता	---"---	4.80	1.00
		शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	---"---	18.21	18.21
		महिलाओ एवं बच्चो का बिकास कार्यक्रम	---"---	16.77	16.77
		बचत एवं साख समिति	---"---	18.96	1.90
		सामुदायिक संगठक घटक	---"---	14.66	9.63
		सूचना शिक्षा सम्प्रेषण	---"---	4.46	1.63
		स्थानीय निकायो का सुद्ढीकरण	---"---	2.85	1.97
		प्रशासकीय ब्यय	---"---	12.37	9.64
		योग		147.04	99.18

आय-ब्यय

(रु० आकड़ें लाख में)

अ०क०	शीर्ष	उपशीर्ष	बर्ष 2010-11(माह नवम्बर 2010 तक)	प्रावधान आय / ब्यय (प्रस्ताबित)	बास्तबिक आय / ब्यय
1	2	3	4	5	6
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	2010-11 (माह नवम्बर 2010 तक)	4.95	4.95
		शहरी स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम	---"---	22.97	18.91
		अधोसंरचनात्मक सहायता	---"---	3.80	1.02
		शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	---"---	6.30	6.30
		महिलाओ एवं बच्चो का बिकास कार्यक्रम	---"---	4.96	4.96
		बचत एवं साख समिति	---"---	17.06	0.72
		सामुदायिक संगठक घटक	---"---	7.51	0
		सूचना शिक्षा सम्प्रेषण	---"---	3.49	0.56
		स्थानीय निकायो का सुद्ढीकरण	---"---	0.88	0.88
		प्रशासकीय ब्यय	---"---	9.07	7.57
		योग		80.99	44.99

अध्याय—बारह

अनुदान के परियोजना (प्रोग्राम) के क्रियान्वयन की रीति और आबंटित राशि व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या -

अ.क्र.	परियोजना का नाम	हितग्राहियों के चयन का आधार	प्रशासनिक विभाग	वर्ष 2008-09	प्राप्त आबंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	2008-09	15.46	15.46	223
2	स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्य0	—''—	—''—	—''—	16.42	10.62	314
3	अधोसंरचनात्मक सहायता	—''—	—''—	—''—	5.20	0.40	67
4	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम	—''—	—''—	—''—	7.68	7.68	2584मा.दि.
5	महिलाओं एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम	—''—	—''—	—''—	5.05	5.00	4 समूह
6	बचत एवं साख समिति	—''—	—''—	—''—	14.77	3.50	14 समूह

1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	—''—	—''—	2009-10	20.06	20.06	58
2	स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्य0	—''—	—''—	—''—	33.90	18.37	352
3	अधोसंरचनात्मक सहायता	—''—	—''—	—''—	4.80	1.00	2सेवाकेन्द्र
4	शहरी मजदूरी कार्यक्रम	—''—	—''—	—''—	18.21	18.21	4642मा.दि
5	महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम	—''—	—''—	—''—	16.77	16.77	08 समूह
5	बचत एवं साख समिति	—''—	—''—	—''—	18.96	1.90	16 समूह

1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	—'—	—''—	2010—11 (नवम्बर 2010 तक)	4.95	4.95	17
2	स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्य0	—''—	—''—	—''—	22.97	18.91	156
3	अधोसंरचनात्मक सहायता	—''—	—''—	—''—	3.80	1.02	102
4	शहरी मजदूरी कार्यक्रम	—''—	—''—	—''—	6.30	6.30	1604मा.दि
5	महिला एवं बच्चो का विकास कार्यक्रम	—''—	—''—	—'—	4.96	4.96	02 समूह
5	बचत एवं साख समिति	—''—	—''—	—''—	17.06	0.72	06 समूह

अध्याय – तेरह

जिला शहरी विकास अभिकरण सीधी से संबंधित नहीं है ।

अध्याय—चौदह

जिला शहरी विकास अभिकरण सीधी के पास धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में बिबरण:-

अ0क0	बर्ग (अभिलेख)	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1	2	3	4
1	नगरीय विकास उपसमिति की कार्यबृत्ति पुस्तिका	हार्ड कापी	—
2	स्टाक तथा भण्डार पंजी	—''—	—
3	भबिष्य निधि अभिलेख (बैंक पास बुक)	—''—	—
4	बेतन बिल पंजी	—''—	—
5	कैशबुक	—''—	—
6	अस्थार्ई अग्रिम/समायोजन पंजी	—''—	—
7	लेखा परीक्षा टिप्पणी	—''—	—
8	आबेदन पत्र/पत्राचार	—''—	—

अध्याय—पन्द्रह

नागरिको को सूचना प्राप्त करने के लिये प्रारम्भ सुबिधाएँ

अ0क0	सुबिधा	प्रभारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय	टेलीफोन नं0
1	2	3	4	5
1	सूचना काउन्टर स्थान— जिला शहरी बिकास अभि0 सीधी कार्यालय	श्री आनन्द बहादुर सिंह परियोजना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी	कार्यालयीन दिन में सुबह 10.30 बजे से शाय 5.30 बजे तक	07822— 250144
2	—''—	श्री लल्लाराम तिवारी सहा0—2 सहा0 लोक सूचना अधिकारी	—''—	—''—

अध्याय—सोलह

लोक सूचना अधिकारियो के नाम पदनाम तथा अन्य

अ0क0	नाम	पदनाम	टेलीफोन नं0	ई—मेल पता	कार्यालय पता	मिलने का समय
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री आनन्द बहादुर सिंह परियोजना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	07822— 250144	Poduda sidhi@ yahoo. co.in	जिला शहरी विकास अभिकरण सीधी	कार्यालयीन समय में सुबह 10.30 बजे से शाय 5.30 बजे तक
2	श्री लल्ला राम तिवारी कार्या0सहा0 बर्ग—2	सहायक लोक सूचना अधिकारी	—''—	—''—	—''—	—''—

अध्याय—सत्रह

अन्य सूचनाएँ

- 1— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक जिला शहरी विकास अभिकरण सीधी द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को बिहित प्रारूप में आबेदन कर सकेगा । आबेदन पत्र का फार्म लोक सूचना अधिकारी से निःशुल्क/सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है । आबेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी । आबेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा ।

अधिनियम –2005 की धारा 8 में बर्णित कारणों से आबेदक द्वारा चाही गयी सूचना /अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आबेदक को दी जावेगी ।

- 2— जिला शहरी विकास अभिकरण के नीतिगत व प्रशासनिक सुधार के लिये रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव को बाछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता है ।
- 3— अभिकरण के कार्यों हेतु सिटीजन चार्टर का प्रकाशन किया गया है । पात्र हित0 से अनुरोध है कि बैंको के माध्यम से अनुदान राशि मागपत्र प्रस्तुत करे,जिससे समय सीमा में निराकृत हो सके ।
- 4— जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन नगरीय निकायों के माध्यम से कराया जाता है, हितग्राहियों के चयन का बिबरण, आबेदन पत्र ,निर्माण कार्यों के माप व अन्य बिबरण इत्यादि की बिस्तृत जानकारी नगरीय निकायों में उपलब्ध है, जिसकी नियमानुसार जानकारी नगरीय निकायों से प्राप्त की जा सकती है ।
- 5— जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा संचालित योजनाएँ केन्द्र प्रायोजित हैं,स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में 75 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन व 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा दिया जाता है, ।